नागरिक उड्डयन विभाग के गठन की पृष्ठभूमि

राज्य में उड्डयन निदेशालय की स्थापना वस्तुतः सन् 1975 में की गयी थी परन्तु कुछ समय तक इसका कार्यक्षेत्र केवल राजकीय वायुयानों के परिचालन तक सीमित था। इसके अतिरिक्त अन्य उड्डयन सम्बन्धी कार्यकलाप जैसे- उड्डयन प्रशिक्षण एवं वायुयानों का अनुरक्षण आदि सहकारी हिन्द फ्लाइंग क्लब द्वारा सुनिश्चित किये जाते थे। अपरिहार्य कारणोवश क्लब की गतिविधियॉं अवरोधित होने लगीं और वर्ष 1980 में उक्त क्लब परिसमापनाधीन हो गया। क्लब के परिसमापनाधीन होने के पश्चात् राज्य में वर्षो पूर्व से चले आ रहे उड्डयन कार्यकलापों पर प्रश्नचिह्न लग गया।

अगस्त 1980 में राज्य सरकार के उड्डयन विभाग ने क्लब द्वारा सम्पादित की जा रही समस्त उड्डयन क्रियाओं का भार अपने ऊपर ले लिया। उक्त क्लब के परिसमापनाधीन हो जाने के फलस्वरूप अगस्त, 1980 में राजकीय नागरिक उड्डयन निदेशालय की स्थापना हुई।

शासनादेश संख्या 844/छप्पन-2001-180/2000, दिनांक 08 जून, 2001 द्वारा नागरिक उड्डयन विभाग का पुनर्गठन हुआ जिसके अन्तर्गत विभाग को अलग-अलग निम्न इकाईयों में पुनर्गठित कर दिया गयाः-

1. परिचालन इकाई।
2. अनुरक्षण, सुरक्षा एवं सामान्य प्रशासन इकाई
3. उ0प्र0 उड़ान प्रशिक्षण संस्थान, कानपुर।

उक्त के अतिरिक्त एक इकाई उ0प्र0 एयरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो कि पहले प्राविधिक शिक्षा परिषद के अधीन कार्यशील थी, अब नागरिक उड्डयन विभाग के अधीन कार्यशील है।

शासनादेश संख्या-1068/छप्पन-2008-180-2000/टी0सी0, दिनांक 19 अगस्त, 2008 द्वारा उ0प्र0 उड़ान प्रशिक्षण संस्थान कानपुर का अस्तित्व समाप्त करते हुए वहॉं पर तैनात स्टाफ की सेवायें राज्य सरकार की विभिन्न हवाई पट्टियों पर आवश्यकतानुसार पद सहित सम्बंधित जिलाधिकारी के नियंत्रणाधीन अन्तरित कर दी गयी हैं।